(51)

Main Attachment- 1.6

कार्यालय नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक 1270 /3–रा0नि0अनु0/2021–22 दिनांक 07-04-2021

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर बस पोर्ट के निर्माण हेतु (0.120 है0 आरक्षित वन भूमि) अर्थात कुल 0.120 है0 वन भूमि मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में लीज/वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगरपालिका रामनगर द्वारा दिनांक 27–03–2021 को सम्पन्न नगरपालिका रामनगर की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं

उपस्थित सभी सभासदों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरपालिकावासी के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगरपालिका परिषद द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया कि, नगरपालिका परिषद रामनगर को उक्त वन भूमि मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, रामनगर
जिला–नैनीताल।

ह0
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, रामनगर
जिला–नैनीताल।

(52)

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :— रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है0 भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रामनगर

उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर बस पोर्ट के निर्माण हेतु (0.120 है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात (कुल 0.120 है0 वन भूमि) का मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवाहन निगम कुमाऊ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में लीज/वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रामनगर) की दिनांक 5/7/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विजयनाथ शुक्ल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:—

1— श्री विजय नाथ शुक्ल —उपजिलाधिकारी [signature] —अध्यक्ष

2— श्री अनिल म्याजीकोटी —उप प्रभागीय वनाधिकारी— वन क्षेत्राधिकारी कालाढूंगी [signature] —सदस्य वन क्षेत्राधिकारी कालाढूँगी वन क्षे रा०व०प्र० रामनगर

3— श्रीमती नीलम ज्योति —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— [signature] —सदस्य/सचिव

4— श्री —बी0डी0सी0 क्षेत्र —सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रामनगर बस पोर्ट के निर्माण हेतु 0.150 है0 वन भूमि का मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवाहन निगम कुमाऊ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में लीज/वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...21/7/2021............द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर बस पोर्ट के निर्माण हेतु 0.120 है0 वन भूमि मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवाहन निगम कुमाऊ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

[signature] 21/7/2021
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—रामनगर
जनपद— नैनीताल
उप जिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[signature]
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— रामनगर
जनपद— नैनीताल

53

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :– रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है0 भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. D.S. Garbiyal I.A.S deputy commissioner,. Nainital on dated 28/07/2021.. at time 11:00 AM at Nainital in which application claiming rights in **Ramnagar** area measuring 0.120 hect for the construction of **Bus Port Ramnagar** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Koshyakutoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital
Dated: 28/07/2021

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

(55)

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :– रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है0 भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand, Office of the District Collector Nainital

No-- [illegible] Dated- [illegible]

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.120 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of -Uttarakhand Transport Corporation, Uttarakhand-(name of user agency) for **Construction of Bus Port** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Ramnagar** village (s) in **Ramnagar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.120 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to .....annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Ramnagar** villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl:As,above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector) जिलाधिकारी नैनीताल.